

पर्वत डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,
जिला हनुमानगढ़

पिनो-220/2025

1. कृष्ण सिंह पुत्र फकीराराम
2. नानकराम पुत्र फकीराराम
3. गुरमुखसिंह पुत्र जग्गासिंह

जाति बावरी निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़।

वादीगण

1. फकीरा पुत्र जगराम जाति बावरी निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सुखदेवसिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति बावरी निवासी गुडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. छिन्द्र कौर पत्नी जगराम जाति बावरी निवासी चक 7 एसडीएस, श्रीगंगानगर तहसील व
जिला श्रीगंगानगर।
4. रामप्यारी पत्नी हरपाल जाति बावरी निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. बलदेव सिंह पुत्र आसूसिंह जाति बावरी निवासी खैरुवाला तहसील सादुलशहर जिला
श्रीगंगानगर।
6. मिन्द्र कौर पत्नी हरदेवसिंह जाति बावरी निवासी खैरुवाला तहसील सादुलशहर जिला
श्रीगंगानगर।
7. रतनकौर पत्नी कृष्णसिंह जाति बावरी निवासी 1 एस. बी. एन तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
8. प्रीतों पत्नी बुधसिंह जाति बावरी निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 7/6/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष
वकील वादी श्री महेश गौड व प्रतिवादी वकील जीतसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने
पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद
वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:-

क. वादीगण सं० 1 कृष्णसिंह, वादी सं० 2 नानक तथा प्रतिवादी सं० 1 फकीरां को बहि०ब० -
चकनं० 8 एम. के. एस. के प०न० 189/219 मु० 38 किलानं० 1 ता 5/1.265 है०, 6/.025 है०
नहरी उत्तरी दिशा, प०न० 190/219 मु० 37 किलानं० 10/.101 है० नहरी उत्तरी दिशा, प०न०
191/216 मु० 13 किलानं० 13, 14/.506 है० नहरी 17/.228 उत्तर दिशा,
चकनं० 1 एनजीआर के प०न० 188/218 मु० 57 किलानं० 25/1 /.228, 25/2/.025 गै०मु०
खाला, प०न० 188/219 मु० 62 किला नं० 5/1/.228 नहरी, 5/2/.025 गै०मु० खाला,
प०न० 189/218 मु० 56 किलानं० 21, 22, 23/.759, प०न० 193/212 मु० 23 किलानं० 16/.
253, प०न० 193/213 मु० 35 किलानं० 5/1/.228 नहरी, 5/2/.025 गै०मु० खाला, प०न०

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर

194/212 मु० 22 किलानं० 20/1/.101, 20/2/.051 नहरी, प०न० 194/213 मु० 36
किलानं० 1/.253, 2/.240,

ख.वादीसं० 3 गुरमुख सिंह को प्राप्त आराजी :- चकनं० 8 एम.के.एस के प०न० 189/219 मु०
38 किला नं० 6/228 दक्षिणी दिशा, 7 ता 15/2.277, प०न० 190/219 मु० 37 किलानं०
10/152 दक्षिणी दिशा, प०न० 191/216 मु० 13 किला नं० 17/025 दक्षिण दिशा, 18/.228
दक्षिणी दिशा, 24/.253, 25/1/.228, 25/2/.025 गै०मु० रास्ता,

चकनं० 1 एनजीआर के प०न० 193/212 मु० 23 किलानं० 23, 24, 25/.759, प०न० 194
/212 मु० 22 किलानं० 22/1/.013 है० नहरी उत्तरी दिशा, 22 / 2 /.050 नहरी,

ग. प्रतिवादीसं० 2 सुखदेव को प्राप्त आराजी :- चकनं० 1 एनजीआर के प०न० 194/212 मु०
22 किलानं० 21/.126 है० पूर्वी दिशा, प०न० 194/212 मु० 22 किलानं० 22/1/.076 दक्षिण
दिशा, इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम
की जावे वचक नं० 8 एम. के. एस के खाता सं० 37/72 तथा चक नं० 1 एनजीआर के खाता
सं० 19/21 में से जीणी, महेन्द्रो व रतनों का नाम कलमजन किया जावे। तहसीलदार राजस्व
टिबी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद
तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल
दखलदारी करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 17/6/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरेइजलास सुनाया
गया।

(सत्यनारायण R.A.S)

सहायक अधिकाारी (राजस्व)
पंचम सहायक बस्तेदार टिबी।
टिबी।